कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

क्रमांक:- परि/लेखा/2016-17/1630-31 दिनांक:- 12.1.17

सीजर यार्ड हेतु स्थान उपलब्ध करवाने हेतु विज्ञप्ति

परिवहन विभाग द्वारा जब्त वाहनों को खडा करने हेतु अलवर जिले में निम्नानुसार सीजर यार्ड के लिए स्थान उपलब्ध करवाने के लिए सील बन्द प्रस्ताव आंमत्रित किए जाते है।

क सं.	स्थान का विवरण	क्षेत्रफल (अनुमानित)
1	कस्बा बहरोड एवं कस्बा नीमराणा के मध्य मे नीमराणा की दिशा में बाये हाथ पर।	6000 वर्ग मीटर
2	कस्बा मालाखेडा एवं राजगढ के मध्य राजगढ की दिशा में बाये हाथ पर	3000 वर्ग मीटर
3	अलवर की सीमा से लगभग 5 किमी तक की दूरी में किसी भी स्थान पर।	3000 वर्ग मीटर
4	ग्राम सैदपुर तिजारा (अलवर)	3000 वर्ग मीटर
5	ग्राम खुशखेडा तिजारा (अलवर)	3000 वर्ग मीटर

प्रस्ताव का प्रारूप एवं शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस को दिनांक 01.02.2017 .तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। प्रस्ताव दिनांक 02.02.2017 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर में प्रस्तुत की जा सकेगी जो उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित प्रस्तावको के समक्ष खोले जावेंगे। प्रस्ताव के साथ 25000 रू का डी.डी. अमानत राशि के रूप में लगाना होगा जो जिला परिवहन अधिकारी अलवर के नाम देय होगा। प्रस्ताव कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किया जाएगा। बिना अमानत राशि संलग्न किए एवं विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। एक अथवा समस्त प्रस्ताव बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। सीजर यार्ड का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियत अथवा प्रस्तुत प्रस्ताव में जो न्यूनतम होगा भुगतान किया जावेगा। शेष शर्तो की जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय/विभागीय पॉर्टल पर की जा सकती है।

(भंवर लाल)
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
अलवर

सीजर यार्ड हेतु स्थान उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव

1. यार्ड मालिक का नाम: -
2. यार्ड मालिक के पिता/पति का नाम: -
3. यार्ड मालिक का पूर्ण पता: -
4. दूरभाष एवं मोबाइल न: -
5. यार्ड का पूर्ण पता: -
6. प्रस्ताव दिनांक: -

मै/हम अलवर जिले में परिवहन विभाग को जब्त किये वाहनो को खडा करने के लिए सीजर यार्ड निम्नानुसार किराये पर देने को तैयार हूं।

क सं.	स्थान का विवरण	यार्ड का क्षेत्रफल	प्रस्तावित किराया
1	कस्बा बहरोड एवं कस्बा नीमराणा के मध्य मे नीमराणा की दिशा में बाये हाथ पर।		
2	कस्बा मालाखेडा एवं राजगढ के मध्य राजगढ की दिशा में बाये हाथ पर		
3	अलवर की नगर परिषद सीमा से लगभग 5 किमी तक की दूरी में किसी भी स्थान पर।		
4	ग्राम सैदपुर तिजारा(अलवर)		
5	ग्राम खुशखेडा तिजारा(अलवर)		

मैनें विभाग की सभी शर्ते पढ एवं समझ ली है। विभाग की सभी शर्ते मुझे स्वीकार है। स्वीकृति के फलस्वरूप मैंने शर्तो पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर यार्ड मालिक

नाम:.................................

सीजर यार्ड के लिए स्थान उपलब्ध करवाने हेतु नियम एवं शर्तें: -

1. जमीन की बाउण्ड्रीवाल न्यूनतम 6 फीट उंचाई की उंचाई में सपूर्ण बाउण्ड्री पर निर्मित होनी चाहिए। न्यूनतम 4 फीट उंचाई वाली बाउण्ड्रीवाल होने पर आवेदन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुबंध होने की दशा में यार्ड मालिक को एक माह के भीतर बाउण्ड्रीवाल की उंचाई 6 फीट निर्मित करनी होगी जिसका खर्चा यार्ड स्वामी वहन करेगा।
2. यार्ड में बिजली का वैध कनेक्शन होना चाहिए एवं पानी का प्र्याप्त स्त्रोत होना चाहिए।
3. यार्ड के मेन गेट तक न्यूनतम 40 फीट चौडा पक्का सम्पर्क मार्ग होना चाहिए। यह मार्ग गैर विवादित चालू हालात में अतिकमण मुक्त होना चाहिए।

4. यार्ड का मैन गेट न्यूनतम 20 फीट चौडा, मजबूत एवं बंद करने एवं खोलने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षा हेतु ताला व अन्दर/बाहर लगाया जा सकने योग्य होना चाहिए।

5 यार्ड में सुरक्षा गार्ड के रहने के लिए आवास मय शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए। यह निर्माण नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध की दिनांक से एक माह के भीतर उक्त निर्माण निर्माण कार्य करवाना होगा, जिसका व्यय अनुबन्धकर्ता वहन करेगा।

6 आवेदक अपनी किराये के मांग की राशि अपने आवेदन में उल्लेखित करेगा साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी स्वतंत्र रूप से उसके किराए का निर्धारण कराया जावेगा। इस दोनो में जो भी न्यूनतम किराया होगा, वह देय होगा।

7 उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में न्यूनतम किराये के लिए बातचीत के पश्चात किराये का निर्धारण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराये से अधिक किराये का निर्धारण नहीं होगा।

8 उपयुक्त आवेदनों का निर्धारण कार्यालय द्वारा गठित निविदा समिति द्वारा किया जायेगा। ऐसे यार्ड जिनका संपर्क सडक 40 फीट से कम चौडी हो, डामरीकृत नहीं हो मार्ग पर अधिक ट्रैफिक रहता है एवं अन्य ऐसा कोई तथ्य जिसके कारण जब्त वाहन के लिए अनुपयुक्त है। इस संबंध में निविदा समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

9 यार्ड परिसर में सभी कोनों में यार्ड के भीतर एवं बाहर से दिन में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था एवं रात्रिकालीन विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए।

10 अनुबंध अवधि 31.03.2017 तक होगी जिसे आपसे सहमति से आगामी 3 वर्ष तक बढाया जा सकेगा।

11 यार्ड का स्वामित्व एवं कब्जा निर्विवाद होना चाहिए।

12 आवेदन कर्ता उपरोक्त शर्तो के संबंध में पूरी करने या न करने की तथ्यात्मक स्थिति सहित विवरण प्रस्तुत करते हुए आवेदन करें। अधूरे एवं अस्पष्ट आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

13 विभाग को यार्ड की आवश्यकता न रहने पर अथवा यार्ड अनुपयुक्त पाये जाने पर उसे 1 माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

14 प्रस्ताव के साथ यार्ड के नक्शे की ब्ल्यू प्रिन्ट की 3 प्रतिया व निर्विवाद मालिकाना हक होने के दस्तावेज की 3 प्रतिया संलग्न करनी होगी। संयुक्त मालिक होने की अवस्था में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सभी के हस्ताक्षर आवश्यक है।

15 किराया प्रति माह बिल प्रस्तुत करने पर कोषालय/बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

16 किराये से नियमानुसार देय टैक्स, आयकर इत्यादि की कटौती की जावेगी।

17 प्रतिवर्ष किराया दर में बढोतरी राज्य सरकार द्वारा वर्णित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

18 यार्ड में आवश्यकतानुसार स्वयं के खर्चे पर विभाग यार्ड मालिक की सहमति से विभाग के खर्चे पर एडिशन/अलट्रेशन करवा सकेगा।

19 आवश्यक होने पर यार्ड का रख-रखाव रंग/सफेदी यार्ड मालिक को अपने खर्चे पर करवाना होगा।

20 किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

21 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस के स्टांप पेपर पर अनुबन्ध किया जायेगा। जिसका व्यय यार्ड मालिक को करना होगा।

हस्ताक्षर यार्ड मालिक

नामः.................................